



भारतीय जीवन बीमा निगम  
Life Insurance Corporation of India  
फैजाबाद मण्डल

प्रपत्र संख्या 5074

श्री \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ को जारी की गयी \_\_\_\_\_ रूपये की  
पालिसी संख्या \_\_\_\_\_ के समर्पित मूल्य के भुगतान का फार्म।  
मैं/हम \_\_\_\_\_

एतद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के उपर्युक्त पालिसी के बोनस के नगद मूल्य सहित \_\_\_\_\_  
रूपये के समर्पित मूल्य की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ/करते हैं और  
उपरोक्त पालिसी रद्द करने हेतु लौटा रहा हूँ/रहे हैं। उसकी पुष्टि में इन कागज पत्रों पर आज (स्थान) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ में दिनांक \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ को मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किये गये।  
समर्पित मूल्य बोनस के नगद मूल्य सहित (लागू न होने पर इसे काट दें) \_\_\_\_\_ रूपये  
निम्न राशि काट ली गयी है।

ऋण \_\_\_\_\_ रूपये  
ब्याज \_\_\_\_\_ रूपये  
ए.पी.एल. का पावना \_\_\_\_\_ रूपये  
अन्य रकमें \_\_\_\_\_ रूपये  
(विवरण सहित लिखें) \_\_\_\_\_ रूपये

हिन्दी जानने वाले साक्षी के

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
पूरा नाम \_\_\_\_\_  
व्यवसाय \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_

1/-रूपये का  
रसीदी टिकट  
लगाइये

हस्ताक्षर



भारतीय जीवन बीमा निगम  
Life Insurance Corporation of India  
फैजाबाद मण्डल

प्रपत्र संख्या 3510

शाखा कार्यालय \_\_\_\_\_  
पॉलिसी संख्या \_\_\_\_\_

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि सिर्फ उन नोटिसों को छोड़कर यदि  
कोई हो जो भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा उपरोक्त पॉलिसी जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा पहले से ही पंजीकृत कर  
ली गई है, मैंने/हमने उपर्युक्त पॉलिसी के सम्बन्ध में अभ्यर्पण या पुनरभ्यर्पण का कोई नोटिस भारतीय जीवन बीमा निगम  
के किसी कार्यालय के नाम जारी नहीं किया है/किये हैं और न ही मैं/हम ऋण मूल्य/वापसी मूल्य के भुगतान के पहले  
अभ्यर्पण या पुनरभ्यर्पण का कोई नोटिस उक्त निगम के किसी कार्यालय के नाम जारी करूँगा/करेंगे।

बीमेदार के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
समानुदेशिती के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

(क0प0उ0)

## सूचना

जो व्यक्ति पढ़े-लिखे न हों उन्हें अपना अंगूठा निशान लगाना चाहिए जिसकी शिनाख्त मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ के द्वारा कार्यालय की मोहर के सहित की जानी चाहिए। दूसरी भाषा में किये गये हस्ताक्षर प्रतिष्ठित हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। दूसरी भाषा के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने वाले साक्षी अंगूठा निशानी को शिनाख्त करने वाले साक्षी मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस को नीचे की घोषणा में हस्ताक्षर करना चाहिए।

इस भुगतान पत्र का विवरण \_\_\_\_\_ को बतला दिया गया है और उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर, विवरण को भली भाँती समझ लेने के बाद किये हैं।

(साक्षी के हस्ताक्षर)

### कार्यालय की मुहर:

निशानी अंगूठा लगाने वाले अथवा हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में सही (हस्ताक्षर) किये जाने वाले भुगतान पत्र का साक्षी मजिस्ट्रेट अथवा जस्टिस आफ पीस को करनी चाहिए।

यदि इस भुगतान पत्र पर एक से अधिक व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं किन्तु भुगतान उनमें से किसी एक व्यक्ति को किये जाने की इच्छा, हो तो व्यक्ति को रकम लेने का अधिकार देना हो उसे छोड़कर सभी व्यक्तियों को साक्षी के समक्ष नीचे लिखा अधिकार पत्र भर कर उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि भुगतान, इस भुगतान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है तो उस दशा में भी निम्न अधिकार पत्र की आवश्यकता होगी।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

मैं/हम एतद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार देता हूँ/देते हैं और प्रार्थना करता हूँ/करते हैं, कि उपर्युक्त \_\_\_\_\_ रूपये की रकम श्री \_\_\_\_\_ को भुगतान कर दें।

(अधिकार प्राप्त किये व्यक्ति का नाम) \_\_\_\_\_

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार पत्र का विवरण \_\_\_\_\_ को बतला दिया गया है और उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर, विवरण को भलीभाँति समझ लेने के बाद ही किए हैं।

कार्यालय की मुहर

मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस के  
हस्ताक्षर

यदि अधिकार पत्र पर सही करने वाला/वाले व्यक्ति अशिक्षित है और अंगूठा निशानी लगाते हैं, अथवा हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर करते हैं तो इस अधिकार पत्र की पूर्ति मजिस्ट्रेट अथवा जस्टिस ऑफ पीस के सम्मुख की जानी चाहिए।